

मध्यप्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक : एफ- /2011/जसं/24

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
..... (म.प्र.)

विषय : संवेदनशील घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन शासन को तत्काल
उपलब्ध कराने बाबत।

प्रदेश में संवेदनशील घटनाओं की जानकारी शासन को समय पर मिलना आवश्यक है। समय पर घटनाओं एवं उनसे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नहीं होने पर शासन का पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत नहीं हो पाता है तथा कई बार अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह शासन-प्रशासन का दायित्व है कि मीडिया के माध्यम से आम जनता को घटना की सही तथा तथ्यात्मक जानकारी समय पर प्राप्त हो। अतः इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. घटना की जानकारी तत्काल दूरभाष पर संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव और आयुक्त जनसंपर्क को दी जाये।
2. कलेक्टर, घटना का तत्काल संज्ञान लेकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को घटना स्थल पर भेजें और आवश्यकता होने पर स्वयं भी वहां जाये तथा प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित कर समग्र प्रतिवेदन तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों और आयुक्त जनसंपर्क को भेजा जाये। साथ ही स्थानीय मीडिया को भी तथ्यों और शासन के पक्ष से तत्काल अवगत कराया जावे।
उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(राकेश श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

क्रमांक : एफ - /2011/जसं/24

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव गृह, म.प्र. शासन, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
5. संभागायुक्त, संभाग की ओर सूचनार्थ।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक : एफ- 2 /2011/जसं/24

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर

..... (म.प्र.)

विषय : संवेदनशील घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन शासन को तत्काल उपलब्ध कराने बाबत।

प्रदेश में संवेदनशील घटनाओं की जानकारी शासन को समय पर मिलना आवश्यक है। समय पर घटनाओं एवं उनसे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नहीं होने पर शासन का पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत नहीं हो पाता है तथा कई बार अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह शासन-प्रशासन का दायित्व है कि मीडिया के माध्यम से आम जनता को घटना की सही तथा तथ्यात्मक जानकारी समय पर प्राप्त हो। अतः इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. घटना की जानकारी तत्काल दूरभाष पर संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव और आयुक्त जनसंपर्क को दी जाये।
2. कलेक्टर, घटना का तत्काल संज्ञान लेकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को घटना स्थल पर भेजें और आवश्यकता होने पर स्वयं भी वहां जाये तथा प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित कर समग्र प्रतिवेदन तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों और आयुक्त जनसंपर्क को भेजा जाये। साथ ही स्थानीय मीडिया को भी तथ्यों और शासन के पक्ष से तत्काल अवगत कराया जावे।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।



(राकेश श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

क्रमांक : एफ -2/2011/जसं/24

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव गृह, म.प्र. शासन, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
5. संभागायुक्त, संभाग की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग

जनसम्पर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन
ज्ञाप

क्रमांक : /जसंसं/समा./2011/287

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2011

प्रति,

समस्त अधिकारी
जिला जनसंपर्क कार्यालय
..... (म.प्र.)

विषय :- संवेदनशील घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन शासन को
तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- सचिव, जनसंपर्क का जिला कलेक्टरों को प्रेषित पत्र क्रमांक एफ- 2/2011/
जसं/24 दिनांक 11.01.11 ।

.....

उक्त विषयक संदर्भित पत्र की फोटो प्रति संलग्न है । पत्र में सचिव, जनसंपर्क ने सभी
कलेक्टरों को संवेदनशील घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन शासन को तत्काल
उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

इस संबंध में आप भी जिला कलेक्टर के सतत संपर्क में रहे । ऐसी किसी भी घटना
की जानकारी प्राप्त होने पर, तत्काल मुख्यालय को अवगत कराये। साथ ही कलेक्टर से चर्चा
कर, उनके अनुमोदन के उपरांत घटना के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी भी मीडिया के
लिए जारी करें ताकि आम लोगों को घटना के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी मिल सके।



(सुरेश तिवारी) 12.01.11.
अपर संचालक (समाचार)